संख्या:92/2019/3939जेएल/22-3-19-100(96)/2019

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 31 अक्टूबर, 2019***

विषय: जिला कारागार गोरखपुर में निरूद्ध 12 सिद्धदोष/विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-32006/सामा-1(3)/गोरखपुर/2019, दिनांक 23-10-2019 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार गोरखपुर में निरूद्ध निम्नलिखित 12 सिद्धदोष/विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-4 की कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.स.	बंदी का नाम व पिता का नाम	निरूद्धि की वर्तमान कारागार	कारागार का नाम जहाँ स्थानान्तरित किया जाना है।
1	2	3	4
1	वि0 बंदी विट्ट यादव पुत्र वकील यादव	जि0का0गोरखपुर	जि0का0 बांदा
2	वि0 बंदी जिशान उर्फ ईशान पुत्र इरसाद	जि0का0गोरखपुर	जि0का0 सीतापुर
3	वि0 बंदी दानिश पुत्र मुन्ना उर्फ अब्दुल रहमान	जि0का0गोरखपुर	जि0का0 झांसी
4	वि0 बंदी संतोष यादव पुत्र रामसागर यादव	जि0का0गोरखपुर	जि0का0 रामपुर
5	वि0 बंदी जितेन्द्र पासवान उर्फ लादेन पुत्र लालचन्द	जि0का0गोरखपुर	जि0का0 कौशाम्बी
6	वि0 बंदी चन्दन राय पुत्र राजकुमार राय	जि0का0गोरखपुर	जि0का0 कानपुर देहात
7	वि0 बंदी कोईल यादव उर्फ दयाशंकर पुत्र रामस्वास्थ्य यादव	जि0का0गोरखपुर	जि0का0 बुलन्दशहर
8	वि0 बंदी दुर्गेश यादव उर्फ शेरू यादव पुत्र बलवंत यादव	जि0का0गोरखपुर	जि0का0 शाहजहांपुर
9	सि0/वि0 बंदी हृदय राय पुत्र रामानन्द राय	जि0का0गोरखपुर	के0का0 बरेली
10	वि0 बंदी गोविन्द यादव पुत्र गुलाब यादव	जि0का0गोरखपुर	जि0का0 अलीगढ़
11	वि0 बंदी रोजन अली पुत्र मीर अली	जि0का0गोरखपुर	जि0का0 बाराबंकी
12	वि0 बंदी राजकुमार यादव उर्फ राजू पुत्र बलराम यादव	जि0का0गोरखपुर	जि0का0 कानपुर नगर

2- कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या:92/2019/3939जेएल(1)/22-3-19-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
3. जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर/बांदा/सीतापुर/झांसी/रामपुर/कौशाम्बी/कानपुर देहात/बुलन्दशहर/शाहजहांपुर/बरेली/अलीगढ़/बाराबंकी/कानपुर नगर।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर/बांदा/सीतापुर/झांसी/रामपुर/कौशाम्बी/कानपुर देहात/बुलन्दशहर/शाहजहांपुर/बरेली/अलीगढ़/बाराबंकी/कानपुर नगर।
5. वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक,जिला कारागार गोरखपुर/बांदा/सीतापुर/झांसी/रामपुर/कौशाम्बी/कानपुर देहात/बुलन्दशहर/शाहजहांपुर/अलीगढ़/बाराबंकी/कानपुर नगर।
6. वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार बरेली।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in